छत्तीसगढ़ सूचना आयोग, रायपुर

<u>अपील प्रकरण क्रमांक 344 / 2006</u>

श्री ललित चन्द्रनाहू,
संयोजक,
किसान मजदूर संघ,
स्टेशन मार्ग, महासमुंद
जिला–महासमुंद (छत्तीसगढ़) .... अपीलार्थी

विरूद्ध

जन सूचना अधिकारी,
कार्यालय तहसीलदार,
महासमुंद (छत्तीसगढ़) .... प्रतिअपीलार्थी

:: आदेश ::

(दिनांक 08 जनवरी 2007)

श्री ललित चन्द्रनाहू निवासी–महासमुंद के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के अंतर्गत आयोग के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की।

2/ अपीलार्थी ने अपील आवेदन में उल्लेख किया है कि उसने सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत तहसीलदार, महासमुंद से आवेदन पत्र दिनांक 25–1–2006 के अनुसार वर्ष जनवरी, 2000 से 31 दिसम्बर 2005 तक शासकीय, बैंकों तथा अन्य संस्थाओं के वसूली प्रकरणों एवं वसूली राशि से संबंधित जानकारी, तहसील महासमुंद के राजस्व ग्रामों में चकबन्दी में वर्ष 1955–1956 में शासकीय भूमि प्रसार तथा 2005–2006 में शासकीय भूमि की स्थिति की जानकारी मांगी। इसी प्रकार ग्रामों में शासकीय भूमि के अतिक्रमण एवं आबंटन से संबंधित जानकारी चाही है। दिनांक 4–2–2006 को जन सूचना अधिकारी तहसीलदार के द्वारा अपीलार्थी के निरीक्षण किये जाने हेतु पत्र लिखा गया, साथ ही सूचित किया गया कि चकबन्दी का अभिलेख तहसील में नहीं होने से तथा शासकीय भूमि का आबंटन तहसीलदार के द्वारा नहीं किये जाने से यह जानकारी तहसील स्तर से दिया जाना संभव नहीं है। दिनांक 23–3–2006 को अपीलार्थी ने जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रारूप जन सूचना अधिकारी को प्रस्तुत किया। जानकारी प्राप्त न होने पर अपीलार्थी के द्वारा प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अपीलीय अधिकारी के द्वारा निर्णय न किये जाने पर आयोग के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई।

3/ आयोग के द्वारा दोनों पक्षों को नोटिस जारी किया गया तथा उनके द्वारा प्रस्तुत तर्कों को सुना गया। अपीलार्थी का तर्क है कि उसके द्वारा चाही गई वांछित जानकारी जन सूचना अधिकारी के द्वारा नहीं दी गई। प्रारूप भी उसके द्वारा बनाकर दिया गया गया था, किन्तु वह जानकारी भी प्राप्त नहीं हुई। जन सूचना अधिकारी ने अपने जवाब में बतलाया कि अपीलार्थी के द्वारा चाही गई जानकारी बहुत विस्तृत है, अतः उसे

अभिलेख अवलोकन करने के लिए निर्धारित वअधि में आवेदन–पत्र प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था। उसने अभिलेखों का अवलोकन नहीं किया। चकबन्दी एवं भूमि आबंटन से संबंधित जानकारी जन सूचना अधिकारी के पास न होने से दिया जाना संभव नहीं था, इसकी भी जानकारी अपीलार्थी को दी गई। नगर पालिका परिषद्, महासमुंद पर किये गये निर्माण कार्यों की जानकारी कार्यालय में उपलब्ध नहीं है।

4/ प्रकरण से यह स्पष्ट है कि वसूली के प्रकरण, जमीन के अतिक्रमण एवं वसूली की जानकारी तहसील में होनी चाहिए, अतः यह जानकारी दी जा सकती है। यह सही है कि चकबन्दी एवं भूमि आबंटन तहसीलदार के द्वारा नहीं किया जाता है, किन्तु जन सूचना अधिकारी के द्वारा आवेदक को यह स्पष्ट करना थ्ज्ञा कि उसे वांछित जानकारी कहां से प्राप्त हो सकती है। अपीलार्थी ने नगर पालिका परिषद्, महासमुंद के द्वारा बिना भूमि आबंटित हुए शासकीय भूमि पर निर्माण कार्य करने की जानकारी चाही है, यह जानकारी तहसील में उपलब्ध हो सकती है। अपीलार्थी के द्वारा मांगी गई जानकारी से स्पष्ट होता है कि उसके द्वारा सम्पूर्ण तहसील के वसूली तथा अतिक्रमण एवं भूमि से संबंधित जानकारी चाही है, जो कि काफी विस्तृत है। अतः यह निर्देश दिये जाते हैं कि अपीलार्थी को जन सूचना अधिकारी के द्वारा आदेश प्राप्ति के 15 दिनों के अंदर अभिलेखों के निःशुल्क परीक्षण हेतु तिथि निर्धारित कर अपीलार्थी को सूचित किया जावे तथा अपीलार्थी अवलोकित किये गये अभिलेखों में से जिन अभिलेखों की प्रति अथवा जानकारी चाहता है, उस संबंध में जन सूचना अधिकारी को आवेदन पत्र दे तथा जन सूचना अधिकारी निर्धारित अभिलेख शुल्क लेकर अपीलार्थी को जानकारी उपलब्ध करावें। जहां तक चकबन्दी एवं भूमि आबंटन से संबंधित जानकारी का संबंध है, जन सूचना अधिकारी तहसीलदार आवेदक को पत्र द्वारा सूचित करे कि उक्त जानकारी किस अधिकारी के कार्यालय से उपलब्ध हो सकती है, जिससे कि अपीलार्थी संबंधित जन सूचना अधिकारी के समक्ष आवेदन कर सके।

5/ उपरोक्त निर्देशों के साथ अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है।

(ए. के. विजयवर्गीय)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त